



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 6]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2013

New Delhi, the 1st January, 2013

का.आ. 6(अ).—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2967(अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 2012, जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित हुई थी, में “उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री स्वतंत्र कुमार” शब्दों के स्थान पर “उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री स्वतंत्र कुमार” पढ़ें।

S.O. 6(E).—In the notification of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, number S.O. 2967(E), dated the 20th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, for the words “Shri Justice Swatanter Kumar, Former Judge of the Supreme Court” read “Shri Justice Swatanter Kumar, Sitting Judge of the Supreme Court”.

[फा. सं. 17(2)/2010-पीएल/एनजीटी (पीटी)]

[F. No. 17(2)/2010-PL/NGT (Pt.)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

SURJIT SINGH, Jt. Secy.